

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)
कमरा न0 512 : वरुणालय फेज - II : करोल बाग नई दिल्ली -110005
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट

www.delhijalboard.nic.in

क्रमांक: दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0 / निदेशक(राजस्व) / अपील न0 1758 / 2016 /

दिनांक: 28/11/16

श्री शंभू प्रसाद प्रजापति,
ई-18, जय विहार, फेज-1,
नजफगढ़
नई दिल्ली-110043.

संयुक्त निदेशक (राजस्व) प0/उ0प0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री शंभू प्रसाद प्रजापति,, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 28-10-2016 का निपटान किया गया।

दिनांक 23.11.2016 को अपील की सुनवाई की गई। नियत समयानुसार अपीलकर्ता श्री शंभू प्रसाद प्रजापति, उपस्थित नहीं हुए एवं जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में भी कोई उपस्थित नहीं हुआ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 21.09.2016 को अपीलकर्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 28-10-2016 को दायर की।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारी ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर दे दिया है, किन्तु अपना पक्ष रखने के लिए अपीलकर्ता उपस्थित नहीं थे।

अतः सहायक जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता के आर0 टी0 आई0 प्रार्थना पत्र की पुनः जांच करें और नियमानुसार यथा सम्भव कार्यवाही करें और अपेक्षित जानकारी अपीलकर्ता को इस आदेश के पारित होने के सात दिन के अन्दर प्रेषित करके उनकी शिकायत को दूर करने का प्रयत्न करें।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया।

यदि अपीलकर्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकते हैं :-

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी-विंग,
अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली- 110066

ह0/-

निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 श्री शंभू प्रसाद प्रजापति, जे0-27, नजदीक शिव मन्दिर, पीर बाबा कूचा मोहत्तर खान, मोरी गेट, दिल्ली-110006.
- 2 संयुक्त निदेशक (राजस्व) प0/उ0प0
- 3 जोनल मैनेजर, नजफगढ़, नांगलोई वॉटर सर्विसेज प्रा0 लि0।
- 4 अधिसारी अभियन्ता (ई0टी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।

PRO(w) स्वगत

निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

1956

01/12/16